

फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से

उड़ी पञ्चवली नाहे लखी  
दिनांक 2.1.18 को जमा हो

उड़ी पञ्चवली नाहे  
दिनांक 2.1.18 को जमा हो

उड़ी नाहे लखी पञ्चवली  
दिनांक 2.1.18 को जमा हो

उड़ी पञ्चवली नाहे  
दिनांक 2.1.18 को जमा हो

उड़ी पञ्चवली नाहे  
दिनांक 2.1.18 को जमा हो

फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष

आपसे पेश है! उभयपक्ष उपस्थित!  
प्रतिना पत्र से सम्बंधित मुल वाप में  
दिनांक 13/3/2012 को आपसी सहमति  
के आधार पर लिभाजन का वाप प्रारम्भिक  
उड़ी किया जा चुका है। तथा महीलावार  
वल्सी को महीरे भी जारी कि जा चुकी है।  
संबंधित प्रबंधगत प्रार्थना पत्र में जिसमें  
वर्ष में एक और प्रार्थना पत्र अर्थात्  
निवेद्यांशा 68/2005 के भी लिखारित  
किया जा चुका है। मुझे मुलवाप आपसी  
सहमति के आधार पर प्रारम्भिक उड़ी किया  
जा चुका है। और जवाब प्रार्थना पत्र आज  
दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। उड़ी स्थिति  
में प्रार्थना पत्र के लिखित किया जाना न्यायोचित  
प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में आपसी  
सहमति के आधार पर वाप प्रारम्भिक उड़ी  
किया जाने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र का  
गुणअवगुण पर विवेचन किये बिना  
न्यायालय हाजा कि आपसीका दिनांक  
27/2/2007 में अद्विक संशोधन कर  
उभयपक्षों को मुलवाप के लिखारित -

## फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

बनाम

केस संख्या

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से  |
|-------------|---------------------------|---|
|             |                           | <p>एक अला आराजी की मौका डंव रिफंड की प्रशासिका करकार रखने हेतु पाबन्ध लिमा जाता है। पतावली फर्मलल शुमार होकर दर्ज नम्बर से काम होने पर वरिष्ठल दफ्तर ही निर्णय आज दिनांक 6/3/18 को धारा 151 CPC के अन्तर्गत सुलेखाम सुनामा गया।</p> <p style="text-align: center;">(3)</p> <p style="text-align: center;"><b>जुज अदिकारी</b><br/><b>जिला जज</b></p> |